कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, बून्दी

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

क्रमांकः–महात्मा गांधी नरेगा/संस्था0/2017–18/ दिनांक :–

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त,ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) जयपुर के पत्र कमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.2017 के तहत कार्य सम्पादन के लिये निम्न रिक्त पद अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक की सेवाऐं संविदा अनुबन्ध पर लिये जाने के लिऐ आवेदन पत्र दिनांक **11.12.2017** तक कार्यालय समय में (जिला परिषद) बून्दी में लिये जायेगे।

क. सं.	नाम पद	न्यूनतम योग्यता	एक मुश्त मानदेय	पदों की संख्या
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविंल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमाधारी तथा कृषि इंजिनियरिंग में बी0ई0 या बी0टेक0 डिग्रीधारी	अधिकतम 8,000/–रुपये एकमुश्त, यात्रा भत्ता के रूप में अधिकतम 2,000/–रुपये एवं ग्रामीण भत्ता 3,000/–रूपये, कुल रूपये 13,000/–प्रतिमाह एक मुश्त	5
2	लेखा सहायक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से बी0कॉम/सीए, इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी)/आई.सी.डब्लू.ए. (इन्टर)/ कम्पनी सैकेट्री (इन्टर) योग्यता रहेगी	8000/–रूपये प्रतिमाह एक मुश्त	12

शर्ते :–

1 इन पदों के लिये अभ्यार्थियों की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक होगी एवं आयु की गणना दिनांक 01.01.2017 को आधार मानकर की जावेगी।

(i) राजस्थान राज्य के अजा/अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के पुरूष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

(ii) राजस्थान राज्य के अजा/अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(iv) विधवाओं एवं तलाकशुद्धा महिला के मामलों में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नही होगी।

2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विकंलाग एवं महिलाओं का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।

3 कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों की अनुबन्ध की अवधि 28.02.2018 तक रहेगी इसके पश्चात् अनुबन्ध अवधि राज्य सरकार के आदेशानुसार बढाई जा सकती है।

4 आवेदन पत्र में अभ्यार्थी को अपना नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, आयु, शैक्षणिक योग्यता, निवास स्थान का वर्तमान व स्थायी पता मय टेलीफोन व मोबाईल नम्बर आदि का अंकन स्पष्ट रूप से करना होगा तथा साथ ही समस्त अंकतालिकाऐं व प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगें।

5 आवेदन फार्म बून्दी जिले की वेबसाईट www.bundi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

6 आवेदन करने के इच्छुक अभ्यार्थी पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर बून्दी के नाम से प्रेषित करेगें।

7 आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि **11.12.2017** को सायं 6.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा। डाक द्वारा भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र उक्त तिथि तक कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिऐ। डाक विभाग/अन्य किसी कारण से होने वाले विलम्ब के लिये सम्बन्धित अभ्यार्थी उत्तरदायी होगे।

8 इन पदों की सेवाऐ अनुबन्ध के आधार पर होगी तथा समस्त तकनीकी एवं लेखा सम्बन्धि कार्य होगा।

::लगातार–2::